

## पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 04.01.2018

# चार व्यक्ति ताश पति से रूपयो की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे पुष्पलता मय . देवाराम सायकालीन गस्त के दौराने मुखबीर खास ने सुचना दी कि जे.पी. नगर राशन की दुकान के पास मोड पर पहाडी की ओट मे चार व्यक्ति ताश पति से रूपयो की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे है तुरत दबिश दी जावे तो पकड मे आ सकते है मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने से हमराही जाप्ता मे से श्री देवाराम को मुरारी को मय अनुसंधान बाक्स के तलब कर मुखबरी की सुचना से अवगत कराकर मन सउनि मय देवाराम मुरारी लाल मय अनुसंधान बाक्स मय नीजी वाहन मय निजी लैपटाप के रवाना होकर चौकी जे.पी. नगर से राशन की दुकान जे.पी नगर पर पहुची देवाराम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए रवाना किया जिसने छोडी देर बाद वापस आकर बताया कि स्थानीय मामला होने व पुलिस कोर्ट के चक्कर मे नही पडने से कोई गवाह नही मिला जिस पर हमराही जाप्ता मे से श्री देवाराम, मुरारी लाल को गवाह मामूर कर मन सउनि मय जाप्ता के रवाना होकर समय जे. पी. नगर राशन की दुकान के पास मोड पर पहाडी की ओट के पास मुखबीर द्वारा बताई जगह पहुचकर चार व्यक्ति घेरा देकर बैठे दिखाई देने पर मन सउनि व हमराही जाप्ता ने छिपते छिपते हुए नजदीक पहुचकर अचानक घेरा देखर पकडा व ज्यो का त्यो बैठे रहने की हिदायत देकर नाम पता पुछा व चौक किया तो पहले व्यक्ति अपना नाम धमेन्द्र पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र जाति ब्रहामण उम्र 27 वर्ष निवासी म.न. 2358 सेक्टर न. एक जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ मे तीन ताश पत्ती हुकम की बेगम , लाल पान की नहला व चीडी की छगी तथा बाये दुटने के नीचे 600 रुपये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम लालचद पुत्र स्व. श्री हेमनदास जाति सिधी उम्र 38 साल निवासी म.न. 190सेक्टर न. एक जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ मे तीन प्ती

चीडी का बादशाह ईट की अट्ठी व लाल पान की तीगी तथा बाये घुटने के नीचे 700 रुपये मिले व तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम विजय कुमार पुत्र राजकुमार जाति सिधी उम्र 25 साल निवासी बी.पी.एल क्वाटर न. 15 जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ में तीन ताश पत्ती लाला पान की बेगम चीडी की दसला व ईच का गुलाम मिले तथा बये घुटने के नीचे 700 रुपये चौथे व्यक्ति ने अपना नाम जावेद पुत्र श्री अब्दुल कयुम जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी म.न.2 बी 9 डबल स्टोरी जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ तीन ताश पत्ती लाल पान की बादशाह , चीडी की नहला व हुकुम की छिगी मिले तथा बाये घुटने के नीचे 700 रुपये मिले तथा हर चारो व्यक्तियों के बीच में रकम दाव 400 रुपये व 40 ताश पत्ते मिले इस प्रकार उपरोक्त हर चारो व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती से रूपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलना अपराध धारा 13 त्च्छट के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर ही कुल रकम जुआ 3100 रुपये व अशयाय जुआ 52 ताश पत्तों को कब्जे पुलिस लिया जाकर बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का । अकित किया गया व अभियुक्तगण धमेन्द्र, लालचंद, विजय कुमार व जावेद द्वारा संज्ञेय अपराध करते हुए पाये जाने व दूसरे अपराध करने से रोकनो के लिए धमेन्द्र , लालचंद विजय कुमार व जावेद व शील्ड पैकेट मार्का । व मूर्तीबा फर्दात के घटना स्थल से रवाना होकर हाजिर थाना आयी हूं अत रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु की सेवामें में पेश है भवदीय पुष्पलता सउनि अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर राज. कार्यवाही पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर दिनांक 4.1.2018 समय 6.37 उ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा रिपोर्ट मय मूर्तीबा फर्दात फर्द जप्ती शिल्ड पैकेट मार्का । व अदम अदखाल जमानत गिर. शुदा अभियुक्तगण धमेन्द्र , लालचंद विजय कुमार व जावेद के पुष्पलता सउनि मय जाप्ता के उपस्थित थाना होकर पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 13 त्च्छट का पाया जाता है अत मु.न. 8/18 धारा उपरोक्त में दर्ज कर अनुसंधान दयानन्द शर्मा सउनि के जिम्म की गईआदि रिपोर्ट पर प्रकर.। संख्या 08/18 धारा 13 आरपीजीओं में दर्ज किया गया ।

## खुलेआम धारदार चाकू लेकर घुमता एक व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस थाना पुष्कर में नाथूलाल सउनि द्वारा दौराने गश्त मुखबिर की इत्तला पर मेला ग्राउण्ड पुष्कर के पास नगरपालिका सीमा मे खुलेआम धारदार चाकू लेकर घूमते अभियुक्त त्रिलोक पुत्र शेरसिंह जाति रावत उम्र 38 साल निवासी गनाहेडा को गिरफ्तार किया। इस संबंध मे थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 04/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया।

## 173(8) सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में हरिराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी झीरोता थाना बोराडा जिला अजमेर को धारा 173(8) सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया।

## शांति भंग के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना सरवाड में 1 हरिराम पुत्र घीसा जाति खटीक उम्र 30 साल,  
2 महावीर पुत्र पीरू जाति कुम्हार उम्र 35 साल निवासीगण फतेहगढ

थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया ।

## 185 एमवी एक्ट में दो आरोपी गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस थाना सरवाड में 1 शंकरलाल पुत्र राधाकिशन जाति नाई उम्र 40 साल निवासी लल्लाई थाना सरवाड जिला अजमेर, 2 विष्णुसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपुत उम्र 35 साल निवासी जालिया थाना भिनाय जिला अजमेर को धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफ्तार किया गया ।